न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
33/2021	23.06.2021	18-6.25

श्रीमती मंजू पत्नी रघुनाथ, कोली निवासी भांवरा तह0 बामनवास ——प्रार्थिया

बनाम

जयप्रकाश पुत्र भरतलाल, मीना निवासी सलौना तह0 गंगापुर सिटी ——अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

उपस्थित :—श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रार्थिया की ओर से

श्री भानू कुमार सिंहल, एड., अप्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 2069/1177 रकबा 0.30 है0 ग्राम सलोन मे स्थित है। प्रार्थिया ने अपनी खातेदारी भूमि मे खंभे गाढकर जानवरों से सुरक्षा के लिए तारबंदी कर रखी है। प्रार्थिया की खातेदारी भूमि पर अप्रार्थी बिना किसी कारण के, ताकत के बल पर कब्जा करना चाहते है। दिनांक 27.05.2021 को जब प्रार्थिया अपनी भूमि मे जोत लगवा रही थी तो अप्रार्थी आ गया एवं उसने प्रार्थिया को धमकी दी कि वह उक्त भूमि पर कब्जा करेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि वह प्रार्थिया की खातेदारी भूमि ख0न0 2069/1170 रकबा 0.30 है0 ग्राम सलोना मे किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नही करे तथा प्रार्थिया की तारबंदी को नही हटावे और प्रार्थिया को भूमि से बेदखल नही करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

अप्रार्थी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि से प्रार्थिया का कोई वास्ता नही है। दिनांक 27.5.2021 की घटना भी प्रार्थिया ने गलत दर्ज करते हुए टी.आई. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थिया का कब्जा नही है बल्कि कब्जा अप्रार्थी का चला आ रहा है। जबाब के विशेष विवरण में अप्रार्थी ने अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी के पिता भरतलाल द्वारा खरीदी गई थी वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी मे होने के कारण वादग्रस्त आराजी के खरीद का दस्तावेज अप्रार्थी के पिता भरतलाल ने प्रार्थिया के नाम निष्पादित करवाया था क्योंकि भूमि का विक्रय अप्रार्थी के पिता भरतलाल के नाम नही हो सकता था। प्रार्थिया व उसके परिवार से अप्रार्थी के पिता से अच्छा प्रेम रहा है। इसलिए मन मे कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:10:48 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

शंका नही थी एवं खरीद के पश्चात से ही वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी के पिता व उसके बाद अप्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद अप्रार्थी के बडे भाई मुन्नालाल की नियत मे खराबी आ गई है और वह अकेला ही वादग्रस्त भूमि को हडपना चाहता है। जबकि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी व अप्रार्थी का बडा भाई मुन्नालाल शामिल मे काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थी के भाई मुन्नालाल का साला आईपीएस है जिसकी हौंस वह अप्रार्थी को देता रहता है लेकिन अप्रार्थी ने स्पष्ट कह दिया है कि पिता की जायदाद मे आधा हिस्सा अप्रार्थी का भी है। अप्रार्थी के भाई ने अप्रार्थी के विरूद्ध अप्रार्थी की मॉ को भी बहका रखा है एवं अप्रार्थी के भाई ने ही प्रार्थिया के नाम से यह गलत मुकदमा प्रस्तुत किया है। इसी कारण से अप्रार्थी के भाई मुन्नालाल को मुकदमे मे पक्षकार नही किया बनाया गया है। मुकदमे के नोटिस मिलने के पश्चात जब अप्रार्थी ने प्रार्थिया से सम्पर्क किया और मुकदमा करने का कारण पूछा तो प्रार्थिया ने कहा कि उसने कोई मुकदमा नही किया है उसके नाम से किसी ने मुकदमा कर दिया हो तो प्रार्थिया की जानकारी नही है। इसलिए प्रार्थिया को न्यायालय मे बुलाकर वास्तविकता की जानकारी लिया जाना आवश्यक है। प्रार्थिया का वादग्रस्त भूमि पर आज तक कब्जा नही रहा है क्योकि वह ग्राम भांवरा तहसील बामनवास की रहने वाली है एवं वादग्रस्त भूमि ग्राम सलौना मे स्थित है। वर्तमान मे प्रार्थिया अजमेर रहती है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थिया ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सम्बत् 2073 से 2076 खाता संख्या 162 ग्राम सलौना प्रस्तुत की है।

अप्रार्थी की ओर से जबाब के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थिया के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। प्रार्थिया के कब्जे मे अप्रार्थी बाधा उत्पन्न करता रहता है इसलिए अप्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि वादग्रस्त भूमि मूल रूप से अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि रही है। जिसे अप्रार्थी के पिता भरतलाल द्वारा प्रार्थिया का नाम क्रय किया गया है क्योकि प्रार्थिया अनुसूचित जाति की सदस्य है एवं प्रार्थिया के परिवारजन के साथ

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:10:48 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

अप्रार्थी के पिता भरतलाल का अच्छा प्रेम रहा है। भूमि खरीद के बाद से ही भूमि पर अप्रार्थी के पिता भरतलाल का एवं उसके पश्चात अप्रार्थी व अप्रार्थी के भाई मुन्नालाल का कब्जा काश्त है। प्रार्थिया का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। अप्रार्थी का बडा भाई मुन्नालाल उक्त जमीन को अकेले ही हडपना चाहता है इसलिए उसने प्रार्थिया से अप्रार्थी के विरूद्ध यह गलत मुकदमा करवाया है। प्रार्थिया यदि स्वयं मुकदमा करती तो वह निश्चित ही हम दोनो भाईयो के विरूद्ध करती। प्रार्थिया का वादग्रस्त भूमि पर शुरू से अभी तक कोई कब्जा नही रहा है एवं प्रार्थिया स्वयं अजमेर मे रहती है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलबध अभिलेख अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 162 ग्राम सलौना के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थिया की खातेदारी मे दर्ज है। अप्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि का स्वयं का व अपने बडे भाई का कब्जा होना बताया है तथा जो तथ्य अप्रार्थी ने अपने जबाब मे अंकित किये है उनके समर्थन मे एवं कब्जे के समर्थन मे कोई दस्तावेज न्यायालय मे प्रस्तुत नही किये है ऐसी स्थिति मे अप्रार्थी के कथन पर विश्वास नही किया जा सकता है। चूकि वादग्रस्त भूमि प्रार्थिया की खातेदारी मे दर्ज है ऐसी स्थिति मे वादग्रस्त भूमि पर प्रथम दृष्टया कब्जा प्रार्थिया का ही माना जावेगा। फलस्वरूप प्रार्थिया अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह मूल वाद के निर्णय होने तक प्रार्थिया की खातेदारी मे दर्ज भूमि ख0न0 2069/1177 रकबा 0.30 है0 ग्राम सलौना तहसील गंगापुर सिटी के कब्जे काश्त मे प्रार्थिया को किसी प्रकार की मजामहत पैदा नही करे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 18-6-25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.09 18:10:48 IST
Reason: SelfAttested

(ब्रजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी